विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 77

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	3046.51	404.93	3451.44	7570.50	-98.10	7472.40	4317.31	-102.00	4215.31	5841.44	-74.81	5766.63
	पूंजी	***1475.58***	...	*1475.58*	*2071.50*	...	*2071.50*	*1382.69*	...	*1382.69*	*958.30*	*1.00*	*959.30*
	जोड़	**4522.09**	**404.93**	**4927.02**	**9642.00**	**-98.10**	**9543.90**	**5700.00**	**-102.00**	**5598.00**	**6799.74**	**-73.81**	**6725.93**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.75	25.27	26.02	0.75	28.75	29.50	0.75	28.06	28.81	1.24	30.47	31.71
2. ब्याज का लेखांकन समायोजन													
2.01 टिहरी हाइड्रो विकास निगम (टीएचडीसी)	2801	...	...	...	...	...	...	...	91.85	91.85	...	...	...
2.02 निवल प्राप्तियां	0049	...	...	...	...	...	...	...	-91.85	-91.85	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
सामान्य													
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	0.95	69.21	70.16	45.29	74.56	119.85	15.00	73.00	88.00	28.70	79.41	108.11
	4801	1.17	...	1.17	1.00	...	1.00	0.28	...	0.28	1.30	...	1.30
	जोड़	*2.12*	*69.21*	*71.33*	*46.29*	*74.56*	*120.85*	*15.28*	*73.00*	*88.28*	*30.00*	*79.41*	*109.41*
4. अनुसंधान और विकास													
4.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	17.76	...	17.76	295.53	...	295.53	79.82	...	79.82	125.00	...	125.00
5. प्रशिक्षण													
5.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	2801	3.63	6.40	10.03	60.52	6.40	66.92	12.70	6.40	19.10	40.00	6.40	46.40
6. मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग													
7.01 सीईआरसी निधि	2801	...	31.70	31.70	...	40.30	40.30	...	40.30	40.30	...	44.33	44.33
7.02 सीईआरसी निधि से पूरी की गई राशि	2801	...	-31.70	-31.70	...	-40.30	-40.30	...	-40.30	-40.30	...	-44.33	-44.33
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ)													
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.02 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता हेतु एनआईएफ से पूरी हुई राशि - आरजीजीवीवाई	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2801	2938.52	...	2938.52	4850.10	...	4850.10	2740.09	...	2740.09	...	...	...
10. ग्रामीण विद्युतीकरण -डीडीयूजीजेवाई	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4320.00	...	4320.00
11. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	...	...	...	1.50	...	1.50	0.16	...	0.16	0.30	...	0.30
12. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	8.13	8.13	...	9.79	9.79	...	8.79	8.79	...	10.15	10.15
13. संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त जेईआरसी की स्थापना	2801	...	5.50	5.50	...	6.00	6.00	...	5.50	5.50	...	6.33	6.33
14. विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	0.66	...	0.66	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
15. ऊर्जा संरक्षण	2801	16.00	...	16.00	107.65	...	107.65	40.72	...	40.72	60.00	...	60.00
16. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो													
16.01 ईएपी भिन्न घटक	2801	64.12	...	64.12	137.55	...	137.55	9.00	...	9.00	48.00	...	48.00
16.02 ईएपी घटक	2801	2.60	...	2.60	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो		*66.72*	...	*66.72*	*139.55*	...	*139.55*	*10.00*	...	*10.00*	*50.00*	...	*50.00*
17. एपीडीआरपी	2801	8.70	...	8.70	144.50	...	144.50	16.78	...	16.78	...	...	...
18. नियामक क्षमता निर्माण के फोरम को सहायता	2801	0.45	...	0.45	2.25	...	2.25	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
19. लाहोरी नागपाला एचईपी	2801	...	536.30	536.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. डिस्कोम की ऋण पुनर्संरचना के लिए वित्त सहायता	2801	...	...	...	400.00	...	400.00	1.00	...	1.00	74.20	...	74.20
21. एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	6801	640.00	...	640.00	963.59	...	963.59	445.79	...	445.79	...	...	...
22. आईपीडीएस हेतु पीएफसी को ऋण	6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	384.00	...	384.00
23. राष्ट्रीय बिजली निधि को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	50.69	...	50.69	1.00	...	1.00	20.00	...	20.00
24. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	4801	30.00	...	30.00	62.92	...	62.92	55.79	...	55.79	30.00	...	30.00
25. एनटीपीसी के लिए कोयला--धारित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4801	301.45	...	301.45	915.00	...	915.00	375.69	...	375.69	993.00	...	993.00
25.01 घटाएं वसूलियां	4801	-301.45	...	-301.45	-915.00	...	-915.00	-375.69	...	-375.69	-993.00	...	-993.00
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. डीवीसी को पूंजी अनुदान सहायता	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
जोड़-सामान्य		**3724.56**	**625.54**	**4350.10**	**7126.09**	**96.75**	**7222.84**	**3421.13**	**93.69**	**3514.82**	**5135.50**	**103.29**	**5238.79**
ताप विद्युत उत्पादन													
27. बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन													
27.01 राजस्व व्यय	2801	...	...	...	...	1.00	1.00	...	0.85	0.85	...	1.00	1.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
27.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-245.88	-245.88	...	-224.60	-224.60	...	-224.60	-224.60	...	-208.57	-208.57
कुल		*...*	*-245.88*	*-245.88*	*...*	*-223.60*	*-223.60*	*...*	*-223.75*	*-223.75*	*...*	*-207.57*	*-207.57*
पारेषण और वितरण													
28. स्मार्ट ग्रिड	2801	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	40.00	...	40.00
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को सहायता	3602	...	...	...	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	...	...	...
30. दीनदयाल उपाध्याय फीडर स्प्रेशन स्कीम	2801	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	...	...	...
31. एकीकृत विद्युत विकास योजना	2801	...	...	...	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	191.00	...	191.00
32. विद्युत प्रणाली प्रचालन कंपनी (पोसोको)	4801	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33. श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन	4801	65.40	...	65.40	268.14	...	268.14	268.14	...	268.14	250.00	...	250.00
34. हरित ऊर्जा कॉरिडोर	4801	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
35. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)													
35.01 विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को अंतरण	2801	...	...	...	1.00	...	1.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
35.02 पीएसडीएफ से पूरा करने के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि योजना	2801	...	...	...	1.00	...	1.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
35.03 विद्युत प्रणाली विकास निधि से ली गई धनराशि	2801	...	...	...	-1.00	...	-1.00	-200.00	...	-200.00	-300.00	...	-300.00
कुल		*...*	*...*	*...*	*1.00*	*...*	*1.00*	*200.00*	*...*	*200.00*	*300.00*	*...*	*300.00*
36. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान													
36.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2552	...	...	...	293.99	...	293.99	146.29	...	146.29	...	...	...
36.02 ग्रामीण विद्युतीकरण - डीडीयूजीजेवाई	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	180.00	...	180.00
36.03 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर छ: पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	2552	...	...	...	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00	...	...	...
36.03.01 ईएपी -भिन्न घटक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
36.03.02 ईएपी घटक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
जोड़- अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर छ: पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना		*...*	*...*	*...*	*200.00*	*...*	*200.00*	*150.00*	*...*	*150.00*	*250.00*	*...*	*250.00*
36.04 एपीडीआर के तहत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	152.95	...	152.95	132.68	...	132.68	...	...	...
36.05 एकीकृत विद्युत विकास स्कीम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
36.06 आईपीडीएस के अंतर्गत पीएफसी को	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16.00	...	16.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ऋण													
36.07 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	175.18	...	175.18	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00
36.08 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	142.10	...	142.10	41.03	...	41.03	74.00	...	74.00
36.09 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*964.22*	*...*	*964.22*	*570.00*	*...*	*570.00*	*680.00*	*...*	*680.00*
जोड़-पारेषण और वितरण		**65.40**	**...**	**65.40**	**2036.36**	**...**	**2036.36**	**1841.14**	**...**	**1841.14**	**1463.00**	**...**	**1463.00**
जोड़-विद्युत		**3789.96**	**379.66**	**4169.62**	**9162.45**	**-126.85**	**9035.60**	**5262.27**	**-130.06**	**5132.21**	**6598.50**	**-104.28**	**6494.22**
37. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश													
37.01 नार्थ ईस्टर्न इलेक्रिक पावर कारपोरेशन लि. में निवेश	4801	62.34	...	62.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37.02 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6801	628.01	...	628.01	478.80	...	478.80	436.98	...	436.98	200.00	...	200.00
37.03 नीपको के लिए ऋण	6801	48.66	...	48.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश		*739.01*	*...*	*739.01*	*478.80*	*...*	*478.80*	*436.98*	*...*	*436.98*	*200.00*	*...*	*200.00*
38. डेसू के पिछले बकाया के निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहायता	7602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39. वास्तविक वसूलियां	2801	-7.63	...	-7.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***4522.09***	***404.93***	***4927.02***	***9642.00***	***-98.10***	***9543.90***	***5700.00***	***-102.00***	***5598.00***	***6799.74***	***-73.81***	***6725.93***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
34.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	21797.24	21797.24	...	22400.00	22400.00	...	22400.00	22400.00	...	23000.00	23000.00
34.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	628.01	2591.02	3219.03	478.80	2745.46	3224.26	436.98	2108.78	2545.76	200.00	3979.89	4179.89
34.03 दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	12801	...	3004.63	3004.63	...	2764.99	2764.99	...	2286.73	2286.73	...	3682.93	3682.93
34.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)	12801	111.00	1447.19	1558.19	142.10	945.88	1087.98	41.03	1554.05	1595.08	75.00	1216.60	1291.60
34.05 सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	1054.05	1054.05	...	1091.93	1091.93	...	720.22	720.22	...	1175.00	1175.00
34.06 टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	30.00	374.30	404.30	62.92	793.76	856.68	55.79	718.40	774.19	30.00	1550.31	1580.31
34.07 भारतीय पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	23158.00	23158.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00
जोड़		**769.01**	**53426.43**	**54195.44**	**683.82**	**50742.02**	**51425.84**	**533.80**	**49788.18**	**50321.98**	**305.00**	**54604.73**	**54909.73**

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. विद्युत	12801	4522.09	53426.43	57948.52	8677.78	50742.02	59419.80	5130.00	49788.18	54918.18	6119.74	54604.73	60724.47
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	964.22	...	964.22	570.00	...	570.00	680.00	...	680.00
जोड़		**4522.09**	**53426.43**	**57948.52**	**9642.00**	**50742.02**	**60384.02**	**5700.00**	**49788.18**	**55488.18**	**6799.74**	**54604.73**	**61404.47**

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान है।

3. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण::** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोन्नत करने और उनको समय पर पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ ही साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरादायी है। सीईए केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति पर परामर्श देता है तथा विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालीन भावी योजनाएं बनाता है। यह विद्युत क्षेत्र के सभी पहलुओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, अभिलेखन तथा उन्हें सार्वजनिक करने, अन्वेषण करने एवं अनुसंधान करने को बढ़ावा देने को भी अनिवार्य करता है।

4. **अनुसंधान एवं विकास:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और अवयवों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

5. **प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

10. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):** भारत सरकार ने एक नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसका उद्देश्य (क) कृषि और गैर-कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग में डिस्कॉमों को सुगम बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना है। योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संवर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। डीडीयूजीजेवाई का परिव्यय 43033 करोड़ रुपए है जिसमें भारत सरकार की तरफ से 33453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिनांक 31.12.2014 तक कुल 1,08,913 गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया गया है, 3,14,160 गांवों का गहन विद्युतीकरण किया गया है और 2,21,17,440 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा 29,628 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। 10वीं एवं 11वीं योजना में 648 परियोजनाओं के अतिरिक्त 12वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 273 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें 23607.39 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत से 12468 गैर-विद्युतीकृत गांवों और 2,31,935 गहन रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण शामिल है।

11. **मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्श के लिए निधियां:** यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए है।

12. **विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एपटेल उस अधिनियम के उद्देश्य से अपीलीय अधिकरण है।

13. **गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया गया है। संयुक्त आयोग के व्यय का केंद्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

14. **कंप्रिहेंसिव अवार्ड स्कीम:** विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालन, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, पारेषण और वितरण यूटिलिटियों तथा ग्रामीण वितरण के फ्रेंचाइजियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा शील्ड और प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

15. **ऊर्जा संरक्षण:** आम लोगों के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता लाने के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखी जाएंगी। नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी (एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और निवेशों का मार्ग खोलने

हेतु ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा।

16. **ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई):** बीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानकों और उपस्करों का लेबलीकरण, कृषि/नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, एसएमई तथा औद्योगिक उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया की शुरूआत, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण जैसे बड़े कार्यों सहित विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहलों के कार्यान्वयन के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा ये पहले से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ाएंगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर घटाएंगी।

18. **क्षमता निर्माण के लिए विनियामक मंच को सहायता::** क्षमता निर्माण और परामर्शी का लाभ प्राप्त करने के लिए विनियामकों के मंच के लिए निधियां मुहैया कराये जाने का प्रावधान है।

20. **डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना को वित्तीय सहायता:** राज्य डिस्कॉमों के टर्नअराउंड को समर्थ बनाने तथा उनकी दीर्घकालीन संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्कीम तैयार तथा अनुमोदित की गई है। स्कीम में, ट्रांजिशनल वित तंत्र के माध्यम से केंद्र सरकार की सहायता से, राज्य डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय टर्न अराउंड को हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

23. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम):** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है। पात्रता की पूर्वशर्त राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार उपायों से संबद्ध है तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों से संबद्ध है।

26. **डीवीसी हेतु पूंजी समर्थन:** रुपए 1.00 करोड़ की सांकेतिक प्रावधान डीवीसी के लिए पूंजी समर्थन प्रदान करने के लिए रखा गया है।

28. **स्मार्ट ग्रिड:** स्मार्ट ग्रिड की योजना 12वीं योजना में शामिल परियोजनाओं में से एक है जिसका परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है। स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना तकनीक प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन बिन्दु से लेकर उपभोग बिन्दु तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार को कम करना सुनिश्चित करता है।

31. **एकीकृत पावर विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है, आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं। भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों का अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है।

32. **पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको):** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 10.12.2014 को आयोजित अपनी बैठक में पोसोको को विद्युत मंत्रालय के अधीन सरकारी कार्यान्वयन कंपनी के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

33. **श्रीनगर से बरास्ता कारगिल लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन::** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2.1.2014 को आयोजित अपनी बैठक में, जम्मू एवं काश्मीर (जे एंड के) में एलस्टांग (श्रीनगर) से लेह (बरास्ता द्रास, कारगिल एवं खलस्ती 220/66 पीजीसीआईएल उपकेंद्र) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण तथा द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह उपकेंद्रों के लिए 66 पीजीसीआईएल अंतर संयोजन प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

34. **हरित ऊर्जा गलियारा:** यह स्कीम विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व पर समझौता किए बिना नवीनीकरण उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने के लिये प्रस्तावित है।

35. **पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फण्ड (पीएसडीएफ):** पीएसडीएफ स्कीम का अनुमोदन विगत वित्तीय वर्ष में मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। स्कीम के लिए विद्युत मंत्रालय की ओर से किसी शुद्ध बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि परियोजना पर होने वाले व्यय को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लगाए गए विनायामक प्रभारों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से वित्तपोषित किया जायेगा।

36.03. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में (सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश के सिवाय) विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना::** विश्व बैंक छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के लिए उक्त नई परियोजना के लिए वित्त पोषण करेगा (डीईए तथा योजना आयोग की सलाह पर, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों अर्थात अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखा गया था। अतः सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश की अंतरा-राज्य पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अलग कर दिया गया है।

36.07. **अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की जा चुकी हैं।

34.01. **एनटीपीसी लिमिटेड:** एनटीपीसी की स्थापना ताप विद्युत विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की उत्पादन कम्पनी के रूप में वर्ष 1975 में की गई थी। निगम ने भारत में सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादन कम्पनी बनने के लिये तेजी से विकास किया है। कम्पनी ने जल विद्युत, विद्युत व्यापार, कोयला खनन आदि में विविधिकरण किया है। इसके विविध प्रचालनों को दर्शाने के लिये कम्पनी का नाम एनटीपीसी लिमिटेड किया गया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रूपये और प्रदत्त पूंजी 8245.46 करोड़ रूपये है। एनटीपीसी के पास, अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कम्पनियों को मिलाकर दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, 43,143 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है।

एनटीपीसी में भारत सरकार का हिस्सा 74.96% है और प्रदत्त इक्वीटी का शेष 25.04% भाग बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एमएफ और जनता द्वारा धारित है।

34.02. **एनएचपीसी लिमिटेड:** एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के तीव्र, दक्ष और किफायती निष्पादन एवं प्रचालन को ध्यान मे रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सन् 1975 मे की गई थी। एनएचपीसी दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, 15000 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी और 11,071 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी के साथ भारत सरकार का अनुसूची 'क' (मिनी रत्न) उपक्रम है । दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, एनएचडीसी (मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी) सहित एनटीपीसी लिमिटेड की कुल संस्थापित क्षमता 6507 मेगावाट है। एनएचपीसी वर्तमान मे 3290 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता के साथ 4 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में संलग्न है। इसने डिपोजिट कार्य/टर्नकी आधार की 3 परियोजनाओं को पूरा भी किया है।

34.03. **दामोदर घाटी निगम (डीवीसी):** डीवीसी की स्थापना दामोदर घाटी में सिंचाई, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, उत्पादन, पारेषण एवं हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत के प्रोत्साहन एवं प्रचालन के लिये सन् 1948 में की गई थी। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता 7745.20 मेगावाट है।

34.04. **नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको), जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 1976 को स्थापित अनुसूची 'क' मिनिरत्न कम्पनी है, का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास तथा चालू करने के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए भारत और विदेश में विद्युत क्षमता का विकास करना है। इससे देश के समग्र विकास और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रूपये है । कम्पनी की वर्तमान संस्थापित क्षमता 1130 मेगावाट है जिसमें 755 मेगावाट हाइड्रो और 375 मेगावाट गैस आधारित विद्युत शामिल है । कम्पनी 770 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं, 152 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं और 5 मेगावाट की सौर परियोजनाओं जो कि पूरा होने के अंतिम चरणों में है, का निष्पादन कर रही है। कम्पनी मार्च 2019 तक 2500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़े जाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

34.05. **एसजेवीएन लिमिटेडः (पूर्व में नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी):** एसजेवीएन लिमिटेड हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की आयोजना, जांच, संगठन, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु क्रमशः 75:25 के अनुपात मे इक्वीटी भागीदारी के साथ भारत सरकार (जीओआई) और हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) के संयुक्त उद्यम के रूप में दिनांक 24 मई, 1988 को स्थापित अनुसूची 'क', मिनिरत्न कम्पनी (पूर्व नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड - एनजेपीसी) है । भारत सरकार ने मई, 2010 के माह में एसजेवीएन के इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के माध्यम से पब्लिक और वित्तीय संस्थानों को अपने 10.03% शेयर की पेशकश की थी। वर्तमान इक्विटी धारिता भारत सरकार 64.47%, हिमाचल प्रदेश सरकार 25.50% और पब्लिक 10.03% है। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, एसजेवीएन की वर्तमान संस्थापित क्षमता 1959.6 मेगावाट है जिसमें 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन और 47.6 मेगावाट खिरविरे विन्ड पावर शामिल है। एसजीवीएन ने विन्ड, सौर थर्मल और विद्युत पारेषण में भी विविधीकरण किया है ।

35.06. **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड:** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है । भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच इक्विटी की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में है । कंपनी को भागीरथ घाटी में 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर काम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिये जुलाई 1988, में निगमित किया गया था । दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000 करोड़ रूपये है और प्रदत्त शेयर पूंजी 3473.10 करोड़ रूपये थी। टीएचडीसीआईएल को अक्टूबर, 09 में मिनिरत्न कम्पनी-1 का दर्जा प्रदान किया गया था और भारत सरकार द्वारा जुलाई, 10 में दर्जा बढ़ाकर अनुसूची 'क' कम्पनी किया गया था। टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र और भूटान में प्रचालनाधीन/विकास के विभिन्न चरणों के अधीन 6211 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 15 परियोजनाओं वाला एक बहु-परियोजना संगठन है । 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर काम्प्लेक्स में टिहरी बांध एवं एचपीपी (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) और टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) शामिल है । निगम ने क्रमशः 10वीं और 11वीं परियोजनाओं के दौरान टिहरी और एचपीपी (1000 मेगावाट) स्टेज-। और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) को सफलतापूर्वक शुरू किया है। 1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी निर्माणाधीन है और 13वीं योजना में शुरू की जानी निर्धारित है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर विष्णुगढ़ पीपलकोटि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (444 मेगावाट) निर्माणाधीन है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना 13वीं योजना में शुरू की जानी निर्धारित है। झांसी जिले (यूपी) में धुकवान 24 मेगावाट एसएचपी निर्माणाधीन चरण में है और 13वीं योजना में शुरू की जानी निर्धारित है। अन्य उर्जा क्षेत्रों में कम्पनी के विविधिकरण के लिये टीएचडीसीआईएल को उत्तरप्रदेश राज्य के खुर्जा में कोयला आधारित 1320 मेगावाट खुर्जा सुपर ताप विद्युत केंद्र को सोंपा गया है।

34.07. **पीजीसीआईएल:** पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को 5000 करोड़ रूपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 23 अक्टूबर 1989 को भारत सरकार के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था जिसे 10,000 करोड़ रूपये तक बढ़ा दिया गया है । पावरग्रिड, जो कि देश की केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और नवरत्न कम्पनी है, (765/400 केवी) एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) और (±500 केवी) एचवीडीसी वोल्टेज स्तर पर व्यापक विद्युत पारेषण व्यवसाय में संलग्न है और क्षेत्रों के भीतर तथा बाहर विद्युत के हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों के प्रचालन हेतु उत्तरदायी है। दिनांक 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी का पारेषण नेटवर्क है जिसमें 1,13,389 सीकेएम ईएचवी पारेषण लाइनें तथा 2,19,079 एमवीए की परिवर्तन क्षमता वाले 188 सब-स्टेशन प्रचालनाधीन है।